सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

संदेश

मझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि प्रदेश के हस्तशिल्प और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पहली बार ''राजस्थान की हस्तशिल्प नीति-2022'' का प्रकाशन किया जा रहा है।

राजस्थान के हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की देश और दुनिया में विशेष पहचान है। शिल्पकारों को नया दिशाबोध कराने और दस्तकारों की नई पीढ़ी को परम्परागत हस्तशिल्प में पारंगत करने के साथ ही राजस्थान की दस्तकारी को देश-विदेश के हस्तशिल्प मानचित्र पर उभारने की दृष्टि से पहली बार हस्तशिल्प नीति लागू करना अपने आप में महत्वपूर्ण है।

आशा है प्रदेश की प्रथम हस्तशिल्प नीति राजस्थान की परम्परागत शिल्पकलाओं के विकास, प्रोत्साहन और हस्तशिल्पियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में प्रभावी सिद्ध होगी।

मैं प्रदेश के हस्तशिल्प और हस्तशिल्पियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ''प्रथम हस्तशिल्प नीति-2022'' के प्रकाशन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

(अशोक गहलोत)
मुख्यमंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

शकुन्तला रावत
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राजस्थान

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि शिल्पकला एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य की प्रथम ''राजस्थान हस्तशिल्प नीति, 2022'' जारी की जा रही है। यह नीति हस्तशिल्पियों के कल्याण के साथ-साथ कला उत्पादों के उन्नयन, प्रमाणीकरण एवं विपणन में भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। यह नीति राज्य की परम्परागत एवं विलुप्त हो रही हस्तशिल्प कलाओं को संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होगी।

मैं आशा करती हूँ कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 हस्तशिल्पियों के आर्थिक उत्थान, बेहतर विपणन एवं निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ राज्य की लुप्त हो रही परम्परागत कलाओं को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

मैं इस नीति के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ।

सद्भावी,

(शकुन्तला रावत)
मंत्री, राजस्थान

विवरणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	परिचय	01
1.	दृष्टि (Vision)	04
2.	उद्देश्य	04
3.	अवधि	04
4.	राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह	04
5.	पुरस्कार एवं सम्मान	05
6.	राजस्थानी हस्तशिल्प की ब्रांड बिल्डिंग	05
7.	राजस्थानी हस्तकला प्रलेखन	05
8.	परम्परागत एवं विलुप्त होती शिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करना	06
9.	शिल्पकलाओं का चिन्हिकरण एवं डाटा	06
10.	सामाजिक सुरक्षा	06
11.	बाजार विकास सहायता योजनाओं का सरलीकरण	06
12.	क्लस्टर्स/क्राफ्ट विलेज में आधारभूत सहायता व सुविधाएं	07
13.	कॉमन फेसेलिटी सेन्टर्स (CFC)	07
14.	हस्तशिल्प एवं पर्यटन में समन्वय	07
15.	वित्तीय प्रोत्साहन	08
16.	विक्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु सहायता	08
17.	ई–मार्केटिंग तथा प्रचार–प्रसार हेतु सहायता	08
18.	संस्थागत संरचना	08
19.	ऋण की सुविधा	09
20.	निजी निवेश को विशेष प्रोत्साहन	09
21.	हैण्डीक्राफ्ट डिजाइन सेन्टर, जोधपुर	10
22.	हैण्डीक्राफ्ट पार्क	10
23.	हस्तशिल्प म्यूजियम	10
24.	आदर्श हस्तशिल्प केन्द्र	10
25.	पर्यावरण सहयोगी उत्पादों को प्रोत्साहन	11
26.	राज्य के कारागारों में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों के उत्पादों की मार्केटिंग	11
27.	हस्तशिल्प डिजाइन बैंक	11
28.	अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी	11
29.	सीएसआर (CSR) के माध्यम से हस्तशिल्प विकास	12
30.	राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी (Monitoring Committee)	12
31.	प्रशासनिक विभाग एवं क्रियान्वयन एजेन्सी	12

परिचय

हस्तशिल्प : राष्ट्रीय परिदृश्य

सभ्यता के आरंभिक काल से ही भारत में विभिन्न कलाओं का विकास हो गया था। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने विशिष्ट हस्तशिल्प के लिए पहचान रखता है एवं यहाँ की अन्य सांस्कृतिक विरासत और सदियों से विकास कर रही सांस्कृतिक परम्पराओं में देशभर में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुओं की झलक दिखाई पड़ती है। लगभग 350 भारतीय ग्रंथों में काष्ठकारी, स्थापत्य कला, आभूषण कला, मूर्तिकला, चित्रकला, वस्त्रकला, नाट्य कला, संगीत कला एवं वैधक कला आदि का उल्लेख मिलता है।

भारत सदियों से विश्व में हस्तशिल्प का महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोत्कृष्ट केन्द्र रहा है। यहाँ दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुएँ भी कोमल कलात्मक रूप में गढ़ी जाती हैं। यह हस्तशिल्प भारतीय संस्कृति एवं यहाँ के हस्तशिल्पकारों की रचनात्मकता से परिचित करातें हैं। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने विशिष्ट हस्तशिल्प के कारण जाने जाते हैं, उदाहरणार्थ कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉलों, गलीचों, नामदार सिल्क तथा अखरोट की लकड़ी के बने फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान बांधनी, कुन्दन मीनाकारी, हैण्ड ब्लॉक प्रिटिंग, आभूषण, वस्त्र, कीमती हीरे–जवाहरात एवं जड़ाऊ आभूषणों, ब्लू पॉटरी आदि हस्तकला के लिए प्रसिद्ध हैं। आंध्रप्रदेश अपने बीदरी के काम तथा पोचमपल्ली की सिल्क साड़ियों के लिए प्रख्यात है। तमिलनाडु ताम्र मूर्तियों एवं कांजीवरम साड़ियों के लिए जाना जाता है तो मैसूर रेशम और चंदन की लकड़ी की वस्तुओं के लिए तथा केरल नक्काशी व शीशम की लकड़ी के फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश की चंदेरी और कोसा सिल्क, लखनऊ की चिकन, बनारस की किमखाब (ब्रोकेड) और जरी वाली सिल्क साड़ियाँ तथा असम का बेंत का उपस्कर, बांकुरा का टेराकोटा तथा बंगाल का हाथ से बुना हुआ कपड़ा, भारत के विशिष्ट पारम्परिक सजावटी दस्तकारी के उदाहरण हैं। ये कलाएँ हजारों सालों से पीढ़ी–दर–पीढ़ी पोषित होती रही हैं और हजारों हस्तशिल्पकारों को रोजगार प्रदान करती हैं। भारतीय शिल्पकार देश की शिल्पकला को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अतुलनीय पहचान दिला रहे हैं।

हस्तशिल्प :- राजस्थान

राज्य की शिल्प कला देश–विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है जिसमें हैण्ड ब्लॉक प्रिंटिंग, बन्धेज, टाई एण्ड डाई, दाबू प्रिन्ट, अजरक प्रिन्ट,तारकशी, कुन्दन मीनाकरी, टेराकोटा, थेवा कला, मूर्तियॉ,

कोटा डोरिया, जयपुरी रजाई, लाख शिल्प, उस्ता कला, मिनिएचर पेन्टिंग, ब्लू पॉटरी, क्ले आर्ट, हैण्डमेड पेपर, जयपुरी एवं जोधपुरी जूती, पेपरमेशी, स्टोन कार्विंग इत्यादि प्रमुख हैं। जिस प्रकार भारत के अनेक क्षेत्रों की कलाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं, उसी प्रकार राज्य की भी कुछ शिल्पकलाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिसमें मुख्य रूप से औढ़णा, मैंण की छपाई, सांझीकला, माण्डणा, आराईश कला, फेटिया कला, ठीकरी कला इत्यादि प्रमुख है।

राजस्थान की प्रमुख हस्तशिल्प कलाएं– बंधेज, लहरिया, मोली का धागा (टाई एण्ड डाई), ब्लॉक प्रिटिंग, अजरक प्रिटिंग, मलीर प्रिंट, दाबू प्रिंट, आकोला प्रिंट, फेटिया प्रिंट, तबक प्रिंट, रोगंन प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, गोटा पत्ती, जरदोजी कला, आरी–तारी, मुक्का क्राफ्ट, लाख शिल्पकला, कांच कशीदाकारी, मीनाकारी, सिल्वर आर्ट ज्वेलरी, कुंदन कला, थेवा कला, तौड़िया हस्तशिल्प, जैम स्टोन, मोलेला कला, मैण की छपाई कला, चर्म शिल्पकला, मूर्तिकला, टेराकोटा कला, रमकड़ा कला, कोफ्तगरी, काष्ठ कला, पेचवर्क कला, कशीदाकारी कला, कठपुतली कला, कावड़, कोटा डोरिया, दरी एवं कालीन, पट्टू बुनाई कला, नमदा, जाजम, जयपुरी रजाई, ब्लू पॉटरी, स्टोन कार्विंग, मिनियेचर पेंटिंग, भित्ती चित्र, रोगंन पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग, फड़ पेटिंग, उस्ता कला, मुनवत कला, हेण्डमेड पेपर, सांझी कला, मेटल आर्ट, ठठेरा, पटवा कार्य, जूतियां, जैम स्टोन कार्विंग, मार्बल कार्विंग, वुडकार्विंग, तारकशी, ग्लास हैण्डीक्राफ्ट, खिलौने, गुड़िया, पेपरमेशी, ठीकरी कला, आला गिला, पणा, आराईश, फ्रेस्कोबुनो कला, मथैरणा कला, माण्डणा कला, डेको पेज आर्ट, वीलकला, तोरण निर्माण, पातरे तिरपणी, सीड पेपर क्राफ्ट, इत्यादि।

राजस्थान में हस्तशिल्प के विकास की विपुल संभावना है। राज्य में हस्तशिल्प के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल यथा लकड़ी, मार्बल, लेदर, धातुएं इत्यादि उपलब्ध हैं साथ ही यहां के परम्परागत हस्तशिल्प ओर विकसित करने तथा विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य में मास्टर शिल्पकार, हस्तकला विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं।

यह क्षेत्र स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं प्रदान करता बल्कि इससे विदेशी मुद्रा भी राज्य को प्राप्त होती है। राज्य में लगभग 6 लाख हस्तशिल्पी हैं। राज्य से वर्ष 2020–21 में 6205.32 करोड़ रूपये के हस्तशिल्प के अतिरिक्त जैम्स एण्ड ज्वैलरी 4067.36 करोड़, टैक्सटाईल्स 5729.29 करोड़, रेडिमेड गारमेंटस 1764.40 करोड़, कारपेट/दरी 464.70 करोड़ का निर्यात हुआ है। राजस्थान से हस्तशिल्प के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि **''वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिल'' (WCC)** द्वारा वर्ष 2016 में जयपुर शहर को शहर की हवेलियों, झरोखों, गेट पर हस्तशिल्प कार्य, पेटिंग, भित्ती चित्र, विभिन्न प्रकार के किये जा रहे हस्तशिल्प कार्यों के कारण जयपुर शहर को **"वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी"** घोषित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा शिल्पकला के विकास एवं हस्तशिल्पियों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए प्रथम बार **"राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019"** में "हैण्डीक्राफ्ट सेक्टर" को "**Thrust Sectors**" में सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त परिलाभों हेतु पात्र माना गया है।

राज्य में हस्तशिल्प को विकसित करने, पुरानी एवं स्थानीय कलाओं को प्रोत्साहित करने और उसमें रोजगार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता है। शिल्पकला समाज के सहयोग से उन्नत होती है। जब शिल्पकला समाज में एक कलात्मक आवश्यकता के रूप में जगह बना लेती है तो उस कला के दस्तकार पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ते जाते हैं जिसके फलस्वरूप स्वरोजगार के साथ–साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी विकास होता है। राज्य की हस्तशिल्प कलाएं यहां के लोगों के अन्तर्मन में है जिन्हें उकेर कर जागृत करने की आवश्यकता के साथ हस्तशिल्प के क्षेत्र में नये रोजगार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता है।

राजस्थान की विशेषता है कि यहां के भव्य किले, हवेलियां, महल, म्यूजियम, झीलें, अभ्यारण्य, उद्यान इत्यादि के साथ यहां की कला एवं सस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी कारण यहाँ की कलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सदियों से पहचान बनाये हुए हैं।

राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022

1. दृष्टि (Vision)

राज्य के हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों का उत्थान करते हुए इस क्षेत्र के दस्तकारों की राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कराना। हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के लिए तकनीकी उन्नयन, विपणन सहयोग, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा तथा क्लस्टर्स/क्राफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं का विकास ताकि राज्य की परम्परागत शिल्प कलाओं के विकास के साथ–साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित हों।

2. उद्देश्य (Objectives)

- राज्य के हस्तशिल्पियों का आर्थिक उत्थान एवं विकास।
- राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना।
- राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना व निर्यात में राज्य की भागीदारी बढ़ाना।
- विलुप्त होती परम्परागत हस्त कलाओं को पुनर्जीवित करना।
- राज्य के हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाते हुए उनकी राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 50,000 नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

3. अवधि (Operative Period)

राजस्थान हस्तशिल्प नीति–2022 अधिसूचना की तिथि से 31 मार्च, 2026 तक प्रभाव में रहेगी।

प्रावधान (Provisions of the Policy)

4. राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह (Rajasthan Handicraft Week)

राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था, उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने एवं अन्य राज्यों में तैयार शिल्प से गुणवत्ता में सुधार एवं उत्पादों को मार्केटेबल बनाने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में एक राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन राजस्थान हाट, जयपुर में किया जायेगा। इसमें राज्य की प्रमुख शिल्पकलाओं के साथ साथ देश के अन्य राज्यों की प्रमुख शिल्पकलाओं का प्रदर्शन, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन कराया जायेगा। आयोजन के दौरान राज्य की कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए हस्तशिल्प सप्ताह में निम्न की व्यवस्था करायी जायेगी:–

- देश की प्रमुख शिल्पकलाओं का प्रदर्शन
- राज्य की प्रमुख लोक कलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम
- राज्य के प्रमुख व्यंजनों का प्रदर्शन

5. पुरस्कार एवं सम्मान (Award & Reward)

हस्तशिल्प सप्ताह के अवसर पर निम्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी:–

टेक्सटाईल, सेरेमिक व क्ले आर्ट, पेंटिंग, लेदर क्राफ्ट, आर्ट ज्वैलरी, मेटल एण्ड वुड, कारपेट/दरी/ नमदा आदि। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणियों में भी पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी:–

- सर्वश्रेष्ठ युवा हस्तशिल्पी (35 वर्ष की आयु तक)
- सर्वश्रेष्ठ महिला हस्तशिल्पी
- विलुप्त होती परम्परागत हस्तकलाओं (Languishing crafts) में विशेष योगदान देने वाले दस्तकार
- हस्तशिल्प निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले निर्यातक

पुरस्कार के चयन हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी। समिति में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग व विभाग के संबंधित संस्थानों के अधिकारियों के अतिरिक्त तकनीकी हस्तशिल्प विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत दस्तकारों आदि को सम्मिलित किया जायेगा।

6. राजस्थानी हस्तशिल्प की ब्रांड बिल्डिंग

(I) राज्य के शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता हेतु बार–कोड, टेगिंग, आई.एस. आई., जी.आई., हॉल मार्क आदि को प्रोत्साहन।

(II) राज्य के प्रत्येक जिले में ODOP (One Dristrict One Product) योजना के अन्तर्गत कम–से–कम एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिह्नित कर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जायेगी।

(III) राज्य स्तर पर ई–पोर्टल व मोबाईल एप का विकास।

(IV) हस्तशिल्प स्मृति चिन्ह– सरकारी कार्यक्रमों, पुरस्कारों, सम्मान समारोह में राजस्थान में बने हस्तशिल्प को स्मृति चिन्ह के रूप में दिये जाने का प्रावधान।

(V) ब्रांड ऐम्बेसेडर – राज्य के हस्तकलाओं एवं हैण्डलूम के उत्पादों का प्रचार प्रसार एवं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सेलेब्रेटी या इस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तित्व की सेवाएं ब्रांड ऐम्बेसेडर के रूप में ली जाएंगी। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग, वाणिज्य एवं एमएसएमई की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की जायेगी।

(VI) हस्तशिल्पियों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न समारोह/आयोजनों में राज्य की हस्तकलाओं को प्रदर्शित करने के लिए वृत्तचित्र तैयार किया जायेगा।

7. राजस्थानी हस्तकला प्रलेखन

राज्य की प्रमुख हस्तकलाओं, हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद, चित्रकारी, छपाई कला, रंगाई कला, कढ़ाई कला, शिल्प कला के सिद्धान्तों/विधियों को सम्मिलित करते हुए विषय विशेषज्ञों के सहयोग से प्रलेखित कराये जायेंगे जिससे इस संबंध में जानकारी आमजन को सुलभ रूप से प्राप्त हो।

8. परम्परागत एवं विलुप्त होती शिल्प कलाओं को पुर्नजीवित करना

राज्य की प्रमुख हस्तशिल्प कलाओं को आम व्यक्ति से परिचय कराने, विलुप्त होती शिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करने तथा रोजगार के नये अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह राज्य स्तर/क्षेत्रीय स्तर तथा जिला स्तर पर राज्य के शिल्प पर आधारित सेमिनार/वर्कशॉप आयोजित करने की व्यवस्था कराई जायेगी।

राज्य की विलुप्त होती हस्तकलाओं (Languishing crafts) को चिन्हित कर प्रोत्साहित किया जायेगा एवं इनकी मार्केटिग व प्रचार प्रसार की उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। इन कलाओं में विशेष योगदान प्रदान करने वाले दस्तकारों/पंजीकृत संस्थानों को पुरस्कृत किया जायेगा।

9. शिल्पकलाओं का चिन्हिकरण एवं डाटा

(Identification and Documentation of Crafts)

राज्य की हस्तकलाओं को चिन्हित कर शिल्पकलाओं एवं हस्तशिल्पियों का सर्वे कर डाटा बेस तैयार किया जायेगा ताकि हस्तशिल्प नीति के प्रावधानों को बेहतर रूप से राज्य में क्रियान्वित की जा सके।

10. सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

समूह बीमा

राज्य के दस्तकारों एवं हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के दस्तकारो एवं बुनकरों, हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्लस्टर्स के लिए 'समूह बीमा' की सुविधा प्रदान कराई जायेगी।

बुनकर प्रीमियम राशि का वहन

भारत सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना संचालित है। इसके वार्षिक प्रीमियम के अन्तर्गत भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंश के साथ–साथ बुनकर/कामगार को भी अपना अंश वहन करना होता है। इस अंश में राज्य सरकार द्वारा योगदान दिया जायेगा।

छात्रवृत्ति (Scholarship)

राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्राप्त दस्तकारों एवं बुनकरों के बच्चों को मान्यता प्राप्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा संस्थान से हस्तशिल्प एवं टेक्सटाइल विषयों में डिग्री/डिप्लोमा/अल्पावधि कोर्स की शिक्षा हेतु "छात्रवृत्ति" प्रदान कर प्रोत्साहित किया जायेगा।

11. बाजार विकास सहायता योजनाओं का सरलीकरण

उद्योग विभाग द्वारा संचालित बाजार विकास सहायता योजना–2012 के तहत हस्तशिल्पियों को मेला, प्रदर्शनी में भाग लेने के पश्चात् स्टॉल रेन्ट का पुनर्भरण, लगेज भत्ता व दैनिक भत्ता देने की व्यवस्था की जाती है। इस पुनर्भरण की प्रक्रिया में दस्तकारों को समय पर राशि प्राप्त नहीं होती है। अतः योजना में संशोधन कराया जायेगा एवं दस्तकारों को आयोजन समाप्ति के दिवस पर भुगतान करने की

व्यवस्था कराई जायेगी। वर्चुअल मेला–प्रदर्शनी में भाग लेने वाले दस्तकारों को योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

राज्य के पंजीकृत हस्तशिल्पियों को प्रदर्शनियों में सहभागिता पर निम्न सहायता राशि प्रदान कराई जायेगीः–

दैनिक भत्ता

1. ग्रामीण व शहरी हाट – 450 रू. प्रतिदिन
2. राज्य में अन्य स्थल – 450 रू. प्रतिदिन
3. राज्य के बाहर – 600 रू. प्रतिदिन

स्टॉल शुल्क

स्टॉल शुल्क का 50 प्रतिशत अधिकतम 5000 रूपये एवं वर्ष में कुल सहायता राशि 25000/– रूपये तक प्रदान कराई जायेगी।

यात्रा भत्ता

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को डीलक्स बस या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल का वास्तविक किराये का भुगतान तथा अन्य पंजीकृत हस्तशिल्पियों को द्रुतगामी बस अथवा द्वितीय श्रेणी रेल का वास्तविक किराया राशि का भुगतान कराया जायेगा।

राज्य के निर्यातकों के लिए लागू **"अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु सहायता योजना"** में वर्चुअल रूप से सहभागिता पर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

12. क्लस्टर्स/क्राफ्ट विलेज में आधारभूत सहायता व सुविधाएं

राज्य के क्लस्टर्स डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हस्तशिल्प एवं हथकरघा कलस्टर्स चिन्हित कर आधारभूत सुविधाओं का विकास, विपणन की व्यवस्था, उत्पादों का प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिग की व्यवस्था करवाई जायेगी।

क्राफ्ट विलेज विकसित करने के उद्देश्य से शिल्पियों के क्षेत्रों को चिन्हित करवाया जायेगा एवं पर्याप्त संख्या में शिल्पियों के परिवार उपलब्ध होने पर क्षेत्र विशेष को **क्राफ्ट विलेज** के रूप में विकसित करवाया जायेगा।

13. कॉमन फेसिलिटी सेन्टर्स (CFC)

राज्य के दस्तकारों एवं बुनकरों के क्लस्टर्स के लिए सी.एफ.सी स्थापित करने हेतु रीको औद्योगिक क्षेत्रों में 5000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड 31 वर्ष की लीज़ पर रियायती दर पर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

14. हस्तशिल्प एवं पर्यटन में समन्वय

राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्र हस्तशिल्प में विशेष पहचान रखते हैं। यह दस्तकार पीढ़ियों से विशेष प्रकार के हस्तशिल्प में कार्य कर रहे है, ऐसे क्लस्टर्स/ क्राफ्ट विलेज का पर्यटन विभाग के साथ समन्वय कर पर्यटन, लोक कला एवं संस्कृति के साथ–साथ हस्तकलाओं को प्रोत्साहित करवाया जायेगा।

(I) राज्य के 14 जिलों में हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन एवं प्रदर्शन हेतु ग्रामीण/ शहरी हाट का संचालन किया जा रहा है। अतः पर्यटन विभाग के पर्यटन साहित्य, वेबपोर्टल, सोशल मीडिया हैण्डल्स में इनकी जानकारी "हैण्डीक्राफ्ट सर्किट" के रूप में सम्मिलित की जाकर प्रचार–प्रचार किया जायेगा।

(II) हस्तशिल्प उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु राज्य में एवं राज्य के बाहर स्थित पर्यटक स्वागत केन्द्रों एवं पर्यटन सूचना केन्द्रों में पर्यटन विभाग द्वारा काउन्टर्स उपलब्ध कराये जायेंगे।

15. वित्तीय प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के दस्तकारों को तीन लाख रुपये तक के ऋण पर शत–प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

16. विक्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु सहायता

हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, हस्तशिल्प समिति/संस्थान द्वारा नगरीय क्षेत्रों में उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प/हथकरघा उत्पादों को विक्रय करने हेतु स्थाई विक्रय केन्द्र स्थापित करने पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रूपये जो भी कम हो, तक की सहायता राशि प्रदान कराई जायेगी।

17. ई-मार्केटिंग तथा प्रचार-प्रसार हेतु सहायता

(I) राज्य के दस्तकारों द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग किया जायेगा। इसके लिए ई–प्लेटफार्म उपलब्ध कराने वाली विख्यात ई–कॉमर्स कंपनियों से समन्वय किया जाकर व्यवस्था की जायेगी।

(II) राज्य के दस्तकारों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु प्रमुख विपणन स्थलों, हेरीटेज होटलों एवं पर्यटन स्थलों पर क्षेत्र/शॉप्स/लीज पर स्थल लिये जाने में सहायता प्रदान की जायेगी।

(III) राज्य के पंजीकृत हस्तशिल्पियों के गुणवत्ता वाले उत्पादों की ई–बाजार के माध्यम से राजकीय विभागों द्वारा 10.00 लाख रुपये तक की खरीद बिना टेण्डर के करने की व्यवस्था की जायेगी।

(IV) हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के प्रचार–प्रसार तथा ई–मार्केटिंग हेतु वेबसाईट/फेसबुक पेज बनाने पर हथकरघा बुनकर, हस्तशिल्पी, बुनकर सहकारी समिति, हस्तशिल्प समिति/संस्थान को पच्चीस हजार रूपये तक की सहायता प्रावधित की जायेगी।

18. संस्थागत संरचना (Institutional Structure)

हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय

हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन **"हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय"** की स्थापना कराई जायेगी। इस निदेशालय में उद्योग एवं वाणिज्य सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन संस्थानों के अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं ली जायेंगी।

संस्थागत विपणन (Institutional Marketing)

उद्योग विभाग के अधीन **"हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय"** राज्य के हस्तशिल्पियों एवं हथकरघा बुनकरों के उत्थान हेतु निम्न कार्य संपादित करायेगा :–

- राज्य के विक्रय व प्रदर्शन योग्य उत्पादों का व्यापक प्रचार–प्रसार डिजिटल, ई–प्लेटफार्म के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु ई–प्लेटफार्म उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों से समन्वय।
- राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के विक्रय व प्रदर्शन हेतु एक वार्षिक कैलेण्डर जारी किया जायेगा, जिससे राज्य व देश–विदेश में लगने वाले मेले–प्रदर्शनियों की तिथियों में सामंजस्य हो।
- राज्य व देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर राज्य के उत्पादों के विक्रय की व्यवस्था व प्रदर्शन कराने में सहयोग।
- निर्यात से संबंधित कार्य करने वाले विभागों/संस्थानों/संगठनों से समन्वय कर राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- राज्य व देश के विभिन्न विभागों, संगठनों एवं संस्थानों द्वारा क्रय करने वाले हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के लिए राज्य के दस्तकारों से संबंधित उद्यमों को ई–पोर्टल से जोड़ना।
- राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के लिए वेण्डर डवलपमेन्ट प्रोग्राम, गुणवत्ता सुधार एवं मार्केट योग्य बनाने हेतु वर्कशॉप कराने की व्यवस्था ।
- देश–विदेश में लगने वाले प्रमुख मेलों/आयोजनों तथा अन्य राज्यों में स्थापित ग्रामीण एवं शहरी हाटों में होने वाले आयोजनों से शिल्पकारों को जोड़ने की व्यवस्था।
- राज्य सरकार व भारत सरकार की विपणन नीतियों की क्रियान्विति हेतु कार्य योजना।
- निदेशालय भारतीय शिल्प संस्थान (IICD), NIFT, NID, Kumarappa National Handmade Paper Institute, Jaipur एवं अन्य संबंधित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु समन्वय।
- पैकेजिंग एवं लेबलिंग हेतु ईको फ्रेंडली उत्पादों की लगातार मांग को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री/वेस्ट मेटेरियल का उपयोग कराने, ईको फ्रेंडली पैकेजिंग, प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय/उत्पादों की निर्माण विधि एवं "इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई" के साथ समन्वय।
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के अन्तर्गत गठित सहायता समूहों की आर्टीजन महिलाओं के उत्पादों के विपणन हेतु ग्रामीण एवं शहरी हाट में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

19. ऋण की सुविधा (Loan Facility)

प्राकृतिक संसाधनों, वेस्ट मेटेरियल एवं पर्यावरण सहयोगी उत्पादों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर युवाओं को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

20. निजी निवेश को विशेष प्रोत्साहन

राज्य में हस्तशिल्पियों के विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में हस्तशिल्प कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, हस्तकला की शिक्षा हेतु Design & Craft Center आदि की स्थापना के लिये निवेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

21. हैण्डीक्राफ्ट डिजाइन सेन्टर, जोधपुर

राजस्थान के हस्तशिल्प का देश के निर्यात में प्रमुख योगदान है, जिसमें जोधपुर के हस्तशिल्प उत्पादों का विशेष योगदान है। राज्य में हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में और वृद्धि करने एवं इस क्षेत्र में रोजगार के और नए अवसर सृजित करने, विश्व में बदलती हुई परिस्थितियों एवं मांग के अनुरूप हस्तशिल्प डिजाइन डवलपमेंट, स्किल डवलपमेंट एवं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के उद्देश्य से जोधपुर में हैण्डीक्राफ्ट फेडरेशन/एसोसियेशन/संघ, राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से एक **"हैण्डीक्राफ्ट डिजाइन सेन्टर"** स्थापित कराने की कार्यवाही की जायेगी। इसमें हस्तशिल्पियों एवं हस्तशिल्प इकाईयों के लिए कॉमन फेसिलिटी सेन्टर भी स्थापित किया जायेगा। यह सेन्टर अन्य राज्यों एवं विदेशों में अपनाई जा रही तकनीक एवं डिजाइनों का भी अध्ययन करेगा जिससे राज्य में भी उसी अनुरूप नई तकनीक के उत्पाद तैयार कराने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इस सेन्टर को हस्तशिल्पियों के लिए **उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence)** के रूप में भी विकसित कराया जायेगा।

22. हैण्डीक्राफ्ट पार्क

परम्परागत हस्तकलाओं के विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने एवं उत्पादों के विपणन की व्यवस्था हेतु उपयुक्त स्थान पर रीको द्वारा **हैण्डीक्राफ्ट पार्क** विकसित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

23. हस्तशिल्प म्यूजियम

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के राजस्थान हाट, जलमहल, जयपुर में राज्य के प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं आम जनता को राज्य की हस्तकला से परिचित कराने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय **हस्तशिल्प म्यूजियम** स्थापित कराने की व्यवस्था की जायेगी। इस म्यूजियम में ऑडियो एवं वीडियो तथा फोटो/चित्रों सहित राज्य के प्रमुख हस्तशिल्पों के संबंध में सामान्य जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य 13 जिलों में स्थित शहरी एवं ग्रामीण हाटों यथा अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा (राजसमन्द), चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, दौसा, भरतपुर एवं झुन्झुनू में भी **लघु हस्तशिल्प म्यूजियम** स्थापित किये जायेंगे।

24. आदर्श हस्तशिल्प केन्द्र (Model Handicraft Centre)

अन्तराष्ट्रीय स्तर की संस्था **"वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिल" (WCC)** द्वारा जयपुर को **"वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी"** घोषित किया गया है। जयपुर शहर में पर्यटकों तथा हस्तशिल्प विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए **आदर्श हस्तशिल्प केन्द्र (Model Handicraft Centre)** स्थापित करने की नितान्त आवश्यकता है। अतः उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन राजस्थान हाट, जयपुर, जो परम्परागत राजस्थान शैली में बना हुआ आकर्षक स्थल है, इस स्थान को हस्तशिल्प एवं हथकरघा के उत्पादों के स्थाई विपणन केन्द्र, क्रेता विक्रेता सम्मेलन हेतु सुविधाओं का विस्तार करवाया जायेगा।

25. पर्यावरण सहयोगी उत्पादों को प्रोत्साहन (Promotion of Eco Crafts)

विश्व में नेचुरल डाई एवं नेचुरल पदार्थों द्वारा तैयार हस्तशिल्प की लगातार बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में पर्यावरण सहयोगी उत्पादों को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से हस्तशिल्पियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चें माल के उपयोग एवं कृषि अपशिष्ट, फूल पौधों एवं वनोपज से पर्यावरण सहयोगी उत्पाद तैयार करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु राज्य में स्थापित संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्य को प्रोत्साहित किया जायेगा। पर्यावरण सहयोगी उत्पादों के विपणन हेतु ग्रामीण एवं शहरी हाटों में आयोजित किये जाने वाले मेला/प्रदर्शनियों में स्थान/स्टॉल्स आरक्षित किये जायेंगे।

26. राज्य के कारागारों में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों के उत्पादों की मार्केटिंग

राज्य में महानिदेशालय, कारागार (जेल) द्वारा विभिन्न जिलों में स्थित कारागार में सज़ायाफ़्ता कैदियों के द्वारा हस्तशिल्प के उत्पादों का प्रशिक्षण एवं हस्तशिल्प उत्पाद तैयार करने की व्यवस्था है। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, श्रीगंगानगर एवं अलवर जिलों में हथकरघा एवं पावरलूम के द्वारा बुनाई कार्य तथा हस्तशिल्प के उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं। उपरोक्त कारागारों (जेल) में संचालित उत्पादन/प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजारों से परिचय कराते हुए मार्केटिंग की व्यवस्था करवायी जायेगी।

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान लघु उद्योग निगम एवं रूडा के माध्यम से इन उत्पादों को मेला प्रदर्शनियों में विक्रय कराने की व्यवस्था के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा सहयोग एवं समन्वय प्रदान किया जायेगा।

27. हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक

राज्य के विभिन्न हस्तशिल्प समूहों एवं उत्पादनकर्ताओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान हाट, जयपुर में "हस्तशिल्प डिजाइन बैंक" की स्थापना कराई जायेगी। इस डिजाइन बैंक में राज्य के सभी प्रमुख शिल्पों के डिजाइनों को संग्रह किया जाकर Electronic Form में रखने की व्यवस्था की जायेगी।

डिजाइन बैंक में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मास्टर क्राफ्टमैन/ शिल्पगुरुओं द्वारा तैयार डिजाइन भी रखे जायेंगे। डिजाइन बैंक के माध्यम से कच्चे माल की उपलब्धता, तकनीक, संबंधित शिल्पकारों की जानकारी एवं स्थान की जानकारी भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जायेगी।

28. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी (Co-Operation and Collaboration)

राज्य के दस्तकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलाव, अनुसंधान एवं मार्केट की जानकारी एवं अनुभव प्रदान कराने के उद्देश्य से India Trade Promotion Organisation (ITPO),

WCC (World Craft Council) एवं अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित किये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम एवं सेमिनार आदि में भाग दिलाने के लिए आयुक्त, उद्योग विभाग के माध्यम से समन्वय एवं सहयोग प्रदान करवाया जायेगा।

29. CSR के माध्यम से हस्तशिल्प विकास

भारतीय कम्पनी अधिनियम के सेक्शन 135 अनुसूची 7 जीएसआर 130 (E) एवं सीएसआर नियमों के अनुसार परम्परागत कला एवं हस्तशिल्प के प्रोत्साहन एवं विकास को सीएसआर के अन्तर्गत अनुमत गतिविधि माना गया है। अतः राज्य के हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान एवं विकास हेतु कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) की विभिन्न ईकाइयों के मध्य समन्वय का प्रयास किया जायेगा। हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के विकास एवं सामूहिक उत्थान हेतु किये जाने वाले कार्य के लिए कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के अधीन गठित राजस्थान सीएसआर प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न कम्पनियों से समन्वय, हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के विकास में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

30. हस्तशिल्प नीति के प्रावधानों को समयबद्ध क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से निम्न समिति गठित की जायेगी:-

राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी (Monitoring Committee)

1.	उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राजस्थान सरकार	–	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य/प्रमुख/शासन सचिव, उद्योग, वाणिज्य एवं एमएसएमई	–	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, पर्यटन विभाग	–	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग	–	सदस्य
6.	प्रबन्ध निदेशक, राज. लघु उद्योग निगम	–	सदस्य
7.	निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग	–	सदस्य
8.	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	–	सदस्य
9.	निदेशक, भारतीय शिल्प संस्थान	–	सदस्य
10.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत हस्तशिल्प क्षेत्र के विशेषज्ञ (तीन सदस्य)	–	सदस्य (3)
11.	आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	–	सदस्य सचिव

आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य द्वारा उक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित कराई जायेगी।

31. प्रशासनिक विभाग एवं क्रियान्वयन एजेन्सी

हस्तशिल्प नीति को क्रियान्वित करने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश, मार्गदर्शन आदि जारी करने के निर्णय लेने हेतु इसका प्रशासनिक विभाग उद्योग, वाणिज्य एवं एम.एस.एम.ई. विभाग होगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति की क्रियान्वयन एजेन्सी आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन प्रस्तावित हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय होगा।

Index

S. No.	Topic	Page No.
	Introduction	01
1.	Vision	03
2.	Objectives	03
3.	Operative Period	03
4.	Rajasthan Handicraft Week	03
5.	Awards and Reward	04
6.	Brand Building of Rajasthani Handicrafts	04
7.	Documentation of "Rajasthani Handicrafts"	05
8.	Revival of the Traditional and Languishing Arts &Crafts	05
9.	Identification of Handicrafts and their Data	05
10.	Social Security	05
11.	Simplification of the Schemes for Assistance in Market Development	06
12.	Infrastructure support and facilities in Clusters/Crafts Village	06
13.	Common Facility Centres	07
14.	Coordination between Handicrafts and Tourism	07
15.	Financial Assistance	07
16.	Assistance for setting up Marketing Centres	07
17.	Assistance for e- Marketing and Publicity &Promotion	07
18.	Institutional Structure	08
19.	Loan Facility	09
20.	Special Promotion of Private Investment	09
21.	Handicraft Design Centre, Jodhpur	09
22.	Handicraft Park	09
23.	Handicraft Museum	10
24.	Model Handicraft Centre	10
25.	Promotion of Eco-Friendly Crafts	10
26.	Marketing of Products of Training Centres established in State Prisons	10
27.	Handicraft Design Bank	11
28.	Participation in International Events	11
29.	Development of Handicrafts through CSR	11
30.	State Level Monitoring Committee	11
31.	Administrative Department and Implementation Agency	12

Introduction

Handicrafts: National Scenario

Since the beginning of civilization, various handicrafts have flourished in India. Every region of India enjoys an identity of its own due to its distinctive handicrafts; the cultural heritage of the country as well as the rich cultural traditions which have been growing here since centuries are amply reflected in its handicrafts. In about 350 Indian Texts, there are references of wood crafts, architecture, jewellery-making, sculpture, painting, fabrics, the art of drama, music and art of vaidhyak etc.

For centuries, India has been an eminent and one of the finest centres of handicrafts in the world. Here even common items of daily use are crafted tenderly, in an artistic manner. These handicrafts depict the Indian culture and the creativity of the Indian Craftsmen. Each region of India is known for its unique handicrafts; for example, Kashmir is famous for its intricately embroidered shawls, carpets, namdaar silk and furniture made of walnut wood, Rajasthan is famous for its handicrafts like Bandhani, Kundan, Meenakari, Hand Block printing, jewellery, textiles, precious stones and studded jewellery, blue pottery etc. Andhra Pradesh is renowned for its Beedri Work and its Pochampalli Silk sarees, Tamil Nadu is famous for its copper statues and Kanjeevaram Silk sarees while Mysore is known for its Silk and sandalwood articles. Similarly, the carving and Sheesham wood furniture of Kerala, Chanderi sarees and Kosa Silk of Madhya Pradesh, Chikan work of Lucknow, Brocade and Zari Sarees of Banaras, Bamboo items of Assam, Terracotta of Bankura and hand woven fabric of Bengal are live examples of unique traditional crafts and decorative arts of India. These crafts have been fostered and passed from generation to generation and still provide employment to thousands of artisans. The Indian Craftsmen have secured an incomparable place for India in the field of handicrafts on the global scenario.

Handicrafts: Rajasthan

The Handicrafts of Rajasthan have a distinct identity of their own in the country as well as abroad. These crafts include Hand Block Printing, Bandhej, Tie & Dye, Dabu Print, Ajrak Print, Taarkashi, Kundan, Meenakari, Terracotta, Thewa Art, Sculpture, Kota Doria, Jaipuri Razai, Lac Work, Usta Art, Miniature Painting, Blue Pottery, Clay Art, Handmade Paper, Jaipuri & Jodhpuri Jootis, Paper Mache, Stone Carving etc. Just as some arts of various regions of India are on the verge of extinction, similarly, some arts and crafts of the State are gradually languishing and about to go extinct which mainly include Odhana, Mendh Printing, Sanjhi Kala, Mandana, Aaraish Kala, Faitia Kala, Theekri Kala etc.

Prominent Handicrafts of Rajasthan are:

Bandhej, Lehariya, Tie& Dye, Block Printing, Ajrak Printing, Maleer Print, Dabu Print, Akola Print, Faitia Print, Tabaq Print, Rogan Print, Sanganeri Print, Bagru Print, Gota Patti, Zardozi Work,

Aari-Tari, Mukka Craft, Lacquer Work, Glass Embroidery, Meenakari, Silver Art Jewellery, Kundan Art, Thewa Art, Tooriya Craft, Gem Stones, Molela Art, Mendh Printing, Leather Craft, Sculpture, Terracotta Art, Ramkara Art, Koftgari, Wood Craft, Art of Patchwork, Embroidery, Kathputli Art, Kaavad, Kota Doria, Dari & Carpets, Pattu Weaving, Namda, Jaajam, Jaipuri Razai, Blue Pottery, Stone Carving, Miniature Painting, Bhitti or Wall Painting, Rogan Painting, Pichhwai Painting, Phad Painting, Usta Art, Munabbat Art, Handmade Paper, Sanjhi Art, Metal Art, Making of Metal Vessels,Patwa (Stringing) Work, Jootis, Gem Stone Carving, Marble Carving, Wood Carving, Taarkashi, Glass Handicrafts, Toys, Dolls, Paper Mache, Theekri Art, Aala Gila, Pana, Aaraish, Fresco Buono Art, Matherna Art, Mandana Art, Deco Page Art, Veel Art, Making of Torans, Paatre Tirpani, Seed Paper craft etc.

Rajasthan offers great potential for development of Handicrafts. The State has abundant raw material for handicrafts such as wood, marble, leather, metals etc. Along with this, the State also has Master Craftsmen, Handicraft Experts and suitable institutions to further develop the traditional handicrafts as well as revive the languishing arts & crafts.

This sector not only provides employment to the local people but also earns foreign exchange for the State. The State houses about 6 lakh craftsmen and artisans. In the year 2020-21, Handicrafts worth Rs. 6205.32 crore were exported from the State; besides this, Gem & Jewellery worth Rs. 4067.36 crore, Textiles worth Rs. 5729.29 crore, Readymade Garments worth Rs, 1764.40 crore and Carpet/Dari worth Rs. 464.70 crore were also exported. The Handicraft Exports from the State are constantly on the rise. It may be mentioned here that in the year 2016, **World Crafts Council (WCC)** has declared Jaipur as the **'World Craft City'** on account of its havelis, jharokhas, gates ornamented with handwork, paintings, wall paintings and the various types of handicrafts flourishing in the City.

Keeping in mind the development of handicrafts and upliftment of the artisans, for the first time, in **'Rajasthan Investment Promotion Scheme-2019'**, Handicrafts was included in the **'Thrust Sectors'** and made eligible for additional benefits.

There is a need to foster the handicrafts, encourage the ancient and local arts and create employment opportunities in them. Handicrafts prosper with the support of the society. When a handicraft gains a place for itself as an artistic requirement in the society, then generation after generation of craftsmen get associated with it which leads to creation of self-employment as well as rise of small scale and cottage industries. The Handicrafts of the State are indelibly embedded in the psyche of the people, the need now is to awaken their creativity and let it find proper expression as well as to create new opportunities of employment in this sector.

It is a unique feature of Rajasthan that along with its grand palaces, forts, havelis, museums, lakes, sanctuaries, gardens etc, its art and culture is a source of attraction for the tourists. This is the reason that, for centuries, its arts and crafts have maintained their distinct identity even in the international arena.

Rajasthan Handicrafts Policy -2022

1. Vision

To strive for the upliftment of the artisans and weavers of the State as well as to ensure their significant contribution in the social and economic development of the State. Securing technical upgradation, marketing support, financial assistance, social security and development of infrastructure facilities in Clusters/ Craft Villages for the artisans and weavers so that along with the advancement of traditional crafts of the State, additional employment opportunities are generated.

2. Objectives

- Economic upliftment and growth of the artisans of the State
- Ensuring a better marketing system for the products of the artisans
- Making the products of the artisans suitable for export and helping them to gain recognition in the international arena as well as boosting the share of the State in Exports
- Reviving the languishing traditional arts and crafts of the State
- Empowering the artisans of the State and ensuring their contribution in the development of the State
- Creating 50,000 new opportunities for employment in the Handicrafts sector in the next 5 years

3. Operative Period

Rajasthan Handicrafts Policy -2022 will be operative from the date of its notification till 31st March, 2026.

Provisions of the Policy

4. Rajasthan Handicraft Week

With the aim to provide a marketing platform for the products of the artisans of the State, acquiring national and international recognition for them, improving the quality of the handicraft products as per those made in other States and making them more marketable, every year in December, a Handicraft Week of National Level will be organized at Rajasthan Haat, Jaipur. This will exhibit the major handicrafts of Rajasthan as well as of the other states of the country; seminars of national/international level will be organized and buyer-seller meets will also be arranged. During Rajasthan Week, to showcase the Art and Culture of the State, following arrangements will be made during the event:-

1. Showcasing of the major handicrafts of the country
2. Cultural Programs of the leading local/folk performing arts of the State
3. Exhibition of the main cuisines of the State

5. Awards and Reward

During Rajasthan Week, State Level Awards will be given in the following categories :-

Textiles, Ceramic & Clay Art, Painting, Leather Craft, Art Jewellery, Metal and Wood, Carpet/Dari /Namdaetc. Besides this, awards will also be given in the following categories:-

- Best Young Artisan (upto the age of 35 years)
- Best Woman Artisan
- Artisans who rendered special contribution towards revival of languishing arts
- Exporters with notable contribution in the field of Handicraft Exports

A High-Level Selection Committee will be constituted for the selection of Awardees. Besides the officers of Department of Industries & Commerce and its associated organizations, it will include Technical Handicraft Experts and Artisans awarded at the National Level etc.

6. Brand Building of Rajasthani Handicrafts

I. To enhance the quality of the products of the artisans of the State, Bar-Code, Tagging, ISI, GI, Hall Mark etc. will be encouraged

II. At least one handicraft product will be identified and promoted in each district under the ODOP (One District One Product) Scheme. For this, a special action plan will be prepared.

III. Development of E-Portal and Mobile App at the State level

IV. **Handicraft Souvenirs** - Provision will be made for giving handicrafts made in the State as Souvenirs during Government Functions, Awards and Felicitation Ceremonies

V. **Brand Ambassador** – Services of Celebrities or prominent personalities in this field will be taken as Brand Ambassadors for the promotion and publicity of the Handicrafts and Handlooms of the State and to gain recognition for them at National and International level. For this, a Selection Committee will be constituted under the chairmanship of Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Industries, Commerce & MSME.

VI. To promote the products of the artisans & craftsmen and to ensure their recognition

at National and International level, promotional films will be prepared for presenting the arts and crafts of the State at various functions and events.

7. Documentation of Rajasthani Handicrafts

With the help of Subject Experts, documentation of the major handicrafts of the State, the major arts and handloom products, painting, printing and dyeing crafts, embroidery crafts etc including the principles/processes of such crafts will be carried out so that information in this regard is easily made available to the general public.

8. Revival of the Traditional and Languishing Arts & Crafts

Every month Seminars/ Workshops based on the arts & crafts of the State will be organized at State level/ Regional level and District level to introduce the major handicrafts of the State to the common man, to revive the languishing arts & crafts and to create new opportunities for employment.

The Languishing arts & crafts of the State will be identified and promoted and appropriate arrangements will be made for their marketing and for their publicity and promotion. The artisans/registered institutions who are rendering special contribution in these crafts will be awarded.

9. Identification of Handicrafts and their Data

The handicrafts of the State will be identified, survey of the artisans will be undertaken and a Data Base will be prepared so that provisions of the Handicraft Policy can be implemented in the State in a better manner.

10. Social Security

Group Insurance

To provide Social Security to the artisans and handloom weavers of the State, facility of 'Group Insurance' will be provided to artisans, craftsmen and weavers between the age of 18 to 50 years and to Handicraft and Handloom Clusters.

Contribution in Premium being paid by Weavers

Government of India is running Pradhanmantri Jeevan Jyoti Insurance Scheme for Handloom Weavers. Towards the payment of its premium, besides contribution by Government of India and Life Insurance Corporation of India, the weavers/artisans also have to pay their share. The State Government will contribute towards the payment of the share by the weavers/artisans.

Scholarship

Children of the artisans and handloom weavers who are recipients of the State Level and National Level Award will be motivated by grant of scholarships for pursuing Degree/Diploma/

Short Term Courses in the subjects of Arts, Crafts, Textiles etc. from recognized Art & Craft and Handloom Institutions.

11. Simplification of the Schemes for Assistance in Market Development

The Market Development Assistance Scheme – 2012 is being run by the Industries Department. Under this Scheme, after participation in Fairs and Exhibitions, the artisans are given reimbursement of the Stall Rent and also provided luggage allowance and daily allowance. In the process of reimbursement, they do not get the amount on time. Therefore, this Scheme will have to be amended and arrangements will be made to pay the artisans on the final day of the event. The benefit will also be extended to the artisans taking part in Virtual Fairs and Exhibitions.

The registered artisans of the State will be provided assistance for participation in Fairs and Exhibitions as follows:-

Daily Allowance

1) Rural and Urban Haat – Rs. 450 per day

2) Other places in the State – Rs.450 per day

3) Outside the State – Rs. 600 per day

Stall Rent

50% of the Stall Rent, up to a maximumof Rs. 5000/- and annual total assistance up to Rs. 25,000/- will be given.

Travelling Allowance

Artisans who are recipients of the National Award will be provided fare of Deluxe Bus or actual fare of AC Second Class of Railway while other registered artisans will be given fare of Express Bus or actual fare of Second Class of Railway.

Under the Scheme **'Assistance for Participation in International & Foreign Trade Fairs'** for the exporters of the State**,** the benefit will be extended to those who take part in virtual mode.

12. Infrastructure support and facilities in Clusters/Crafts Village

Under the Cluster Development Program of the State, craft and handloom clusters will be identified and supported by development of infrastructure facilities, arrangements for marketing, publicity & promotion of products and Branding at National and International level.

The regions where artisans reside will be identified for the purpose of development of **Craft Village** and in case of availability of adequate number of artisan families, that particular region will be developed as a **Craft Village**.

13. Common Facility Centres (CFC)

For the establishment of Common Facility Centres (CFC) for the Craft and Handloom Clusters of the State, plots up to 5000 sq. mts. will be made available in RIICO Industrial Areas on concessional rates on a lease of 31 years.

14. Coordination between Handicrafts and Tourism

Many rural areas of the State are well recognized for their handicrafts. The artisans in these areas have been engaged in their special arts &crafts for generations. In coordination with Tourism Department, such Clusters/Crafts Village will be promoted for development of tourism, folk arts & culture as well as their handicrafts.

I. Rural/urban haats are being run in 14 districts of the State for exhibition and marketing of handicraft products. Therefore, information about this will be included as 'Handicraft Circuit' in the tourist literature, web portal and social media handles of the Tourism Department to ensure their publicity and promotion.

II. For exhibition and marketing of handicraft products, counters will be made available by Tourism Department in their Tourist Reception Centres and Tourist Information Centres located within and outside the State.

15. Financial Assistance

Hundred Percent of the interest on loans up to Rs. 3 lakhs taken by artisans of the handicraft sector will be borne by the State Government.

16. Assistance for setting up Marketing Centres

On establishment of permanent Marketing Centres for sale of their handicraft/handloom products by Handloom Weavers Cooperative Societies/ Artisan Societies/ Institutions in urban areas, 50% of the total cost of establishment or a maximum of Rs. 1 lakh, whichever is lesser will be given by the Government as assistance.

17. Assistance for e- Marketing and Publicity & Promotion

I. An online platform will be utilized for marketing of handicraft products produced by the artisans of the State. For this purpose, arrangements will be made by coordinating with reputed e-Commerce companies who provide e-Platforms.

II. Assistance will be extended for acquiring area/shops/space on lease at major marketing centres, heritage hotels and tourist spots for marketing of handicraft products of artisans of the State.

III. Provision will be made for purchase of quality products worth up to Rs. 10 lakhs from the registered artisans of the State by the Government Department through the medium of e-Bazaar without tender.

IV. On creation of Website/Facebook Page for publicity & promotion and e-Marketing of the handicraft and handloom products by handloom weavers, artisans, Weaver Cooperative Society or Handicraft Society/Institution, assistance up to Rs. 25000/- will be provided.

18. Institutional Structure

Handicraft and Handloom Directorate

Keeping in view the development of the Handicraft and Handloom Sector, a **'Handicraft and Handloom Directorate'** will be constituted under the Industries & Commerce Department. In this Directorate, besides the services of officers of Industries & Commerce Department, services of officers of its associated organizations will also be taken on deputation.

Institutional Marketing

Handicraft and Handloom Directorate constituted under the Industries & Commerce Department will undertake the following activities for upliftment of the artisans and handloom weavers of the State:

- Wide publicity and promotion of products of the State which are worthy of sale and exhibition will be carried out through digital or e-Platform. For this, coordination will be established with companies providing e-Platform.
- An annual calendar will be released for the sale and exhibition of the handicraft and handloom products of the State so that dates of the fairs and exhibitions organized in the country and abroad may be coordinated.
- Support in organizing sale and exhibition of products of the State at major tourist spots of the state and the country.
- Establishing coordination with the Departments/Institutions/Organizations related to Exports for promotion of handicraft and handloom exports from the State.
- To connect the various Departments, Institutions and Organizations of the state and country who buy handicraft and handloom products with the art and craft units of the State through e-Portal.
- Organizing Vendor Development Programs and Workshops for Improvement in Quality and Marketability of the handicraft and handloom products of the State.
- To connect the artisans of the state to the major exhibitions and events held in India and abroad as well as to the rural and urban haats set up in other states.
- Formulating action Plan for implementation of the Marketing Policies of the State Government and Government of India.

- Coordination with Indian Institute of Craft &Design (IICD), NIFT, NID, Kumarappa National Handmade Paper Institute, Jaipur and other related organizations to encourage trainings through them.
- Considering the increasing demand for eco-friendly products for packaging and labelling, promoting the use of locally available material/ utilization of waste material, eco-friendly packaging, coordination with training organizations/ manufacturing process of products and coordination with 'Indian Institute of Packaging, Mumbai'.
- Space will be provided in Rural and Urban Haats for marketing of products of women artisans of Self Help Groups constituted under Rajasthan Rural Livelihood Development Council (Rajeevika).

19. Loan Facility

For promoting industries based on Natural Resources/ Waste Material and Environment Friendly Industries, provision will be made to get the loans sanctioned for the youth on priority basis.

20. Special Promotion of Private Investment

With the objective of advancement of artisans of the State and creation of job opportunities, private investment will be promoted in establishment of Handicraft Skill Development Centres, Design & Craft Centres for handicraft education etc

21. Handicraft Design Centre, Jodhpur

Handicrafts from Rajasthan are major contributors in the Exports from the country and the contribution of Handicrafts from Jodhpur in this is significant. With the aim of further increasing handicraft exports from the State, generation of new employment opportunities in this sector, managing handicraft design development in sync with the changing global scenario & demand, skill development and technology up gradation, action will be initiated for setting up a **'Handicraft Design Centre'** through Handicraft Federation/Association/Union, State Government or Government of India. A Common Facility Centre for artisans and handicraft units will also be set up in this. This Centre will study the techniques being employed and the designs being used in other states and other countries so that new techniques or processes for products may be promoted in the State accordingly. This Centre will be also be developed as a **'Centre for Excellence'** for the artisans.

22. Handicraft Park

Handicraft Park will be developed by RIICO at appropriate places for development of traditional arts and crafts, generation of employment opportunities for local people and sale of their products.

23. Handicraft Museum

A State Level **Handicraft Museum** will be established at the Rajasthan Haat, Jal Mahal, Jaipur of Udyam Prosahan Sansthan which is under the Industries & Commerce Department for exhibiting the major handicraft products of the State and for introducing the common man to the arts and crafts of the State. In this Museum, general information about the chief handicrafts of the State will be made available through audio/video, photos and pictures. Besides this, at the Urban and Rural Haats located in 13 other Districts of the State viz. Ajmer, Jodhpur, Bikaner, Jaisalmer, Udaipur, Bhilwara, Nathdwara (Rajsamand), Chittorgarh, Kota, Sikar, Dausa, Bharatpur and Jhunjhunu, **Mini Handicraft Museums** will be established.

24. Model Handicraft Centre

World Craft Council (WCC), an international organization, has declared Jaipur as the **'World Craft City'**. Considering the tourist potential of Jaipur and the scope of development of handicrafts, there is an absolute necessity for the establishment of a **Model Handicraft Centre**. Therefore, Rajasthan Haat which is an attractive complex, constructed in the traditional Rajasthani style, under Udyam Protsahan Sansthan of Industries & Commerce Department has been selected as the permanent venue for marketing and sale of Handicrafts and Handloom products and for organization of Buyer-Seller meets by extension of its facilities.

25. Promotion of Eco-Friendly Crafts

Keeping in mind the constantly increasing global demand for handicrafts made using natural dyes and natural products, attempts will be made to promote eco-friendly products in the State, and, with the objective of generating employment, efforts will be made to encourage the artisans to use locally available raw materials and make eco-friendly products utilizing agro waste, flowers & leaves and forest produce. For this purpose, trainings through the Institutions established in the state will be encouraged. In the fairs and exhibitions organized in the Urban and Rural Haats, space/stalls will be reserved for the sale and marketing of Eco-Friendly products.

26. Marketing of Products of Training Centres established in State Prisons

In the Prisons located in various districts of the State, Director General, Jails has made arrangements for training and production of handicraft products by the prisons inmates. In the Central Jails of districts of Jaipur, Jodhpur, Ajmer, Udaipur, Bikaner, Bharatpur, Kota, Sriganganagar and Alwar, handicraft products are being produced through weaving on handlooms and power looms. The products from the production/training centres run in the above mentioned prisons will be introduced in the markets and arrangements will be made for their proper marketing.

Industries & Commerce Department will lend assistance and co-ordinate with Udyam Protsahan Sansthan, Rajasthan Khadi and Gramodyog Board, Rajasthan State Handloom

Development Corporation, Rajasthan State Weavers' Cooperative Union, Rajasthan Small Industries Corporation and RUDA for organizing the sale of these products in fairs and exhibitions.

27. Handicraft Design Bank

Handicraft Design Bank will be established at the Rajasthan Haat in Jaipur with the purpose of facilitating the various handicraft groups and producers of the State in making products as per national and international demand. In this Design Bank, designs of all the major crafts of the State will be collected and compiled in electronic form.

The designs prepared by the Master Craftsmen and Shilp Gurus, who have won national and international awards, will also be kept in the Design Bank. Information about availability of raw materials, technology, details of the concerned craftsman and place will also be made available through the Design Bank.

28. Participation in International Events

(Co-Operation and Collaboration)

Commissionerate of Industries & Commerce will assist and coordinate the participation of artisans and craftsmen of the State in programs and seminars of international level organized by India Trade Promotion Organization (ITPO), World Craft Council (WCC) and other such organizations so that they may get acquainted with the changes in the national and global trends, acquire knowledge of latest research & market information and also gain experience.

29. Development of Handicrafts through CSR

As per Section 135, schedule 7, GSR 130 (E) of Indian Companies Act and rules of CSR, promotion and development of traditional arts and crafts has been considered as a permitted activity under CSR. Therefore, for the upliftment and development of the artisans and weavers of the State, efforts will be made to co-ordinate between them and the various Corporate Social Responsibility (CSR) units. Rajasthan CSR Authority, constituted under Commissioner Industries, Commerce and CSR for taking up activities for development and collective welfare of the artisans and weavers, will establish co-ordination with various companies andpersuade them to provide support for development of the Handicraft and Handloom sector.

30. The following Committee will be constituted for the purpose of time bound implementation of the provisions of the Handicraft Policy:

State Level Monitoring Committee

1. Minister of Industry & Commerce, Rajasthan Government - Chairman
2. Additional Chief/Principal Secretary/Secretary, Industries, Commerce& MSME - Member

3.	Additional Chief/Principal Secretary/ Secretary, Finance Department	-	Member
4.	Principal Secretary/ Secretary, Tourism Department	-	Member
5.	Principal Secretary/ Secretary, Art and Culture Department	-	Member
6.	Managing Director, Rajasthan Small Industries Corporation	-	Member
7.	Director, Women Empowerment Department	-	Member
8.	Director, Minority Affairs and Waqf Board	-	Member
9.	Director, Indian Institute of Craft & Design	-	Member
10.	Handicraft Experts nominated by the State Government (three members)	-	Members (3)
11.	Commissioner, Industries & Commerce	-	Member Secretary

Commissioner, Industries & Commerce will organise the meetings of this committee as per requirement.

31. Administrative Department and Implementation Agency

Industries, Commerce & MSME Department will be the Administrative Department for the purpose of issuing necessary directions and guidelines with respect to the implementation of the Handicraft Policy. The Implementation Agency of the Rajasthan Handicraft Policy will be the Directorate of Handicraft and Handloom proposed to be constituted under Commissioner, Industries & Commerce.

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005, राजस्थान

+91 141 222 7727-29/31/ 33/34, 222 7630

indraj@rajasthan.gov.in

industries.rajasthan.gov.in/ci

MercuryDesign.in

Scan to download the Policy